हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गोपीराम बनाम जगवीर	

दिनांक 02.06.2023

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 राजस्व वाद के साथ पेश किया। अभिभाषक/प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके मुताबिक प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में ही साबित प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 को आगामी नियत दिनांक 26.07.2023 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 नं0 575, 826, 834, 572, 573, 570, 571, 611, 612, 613, 624, 625, 832, 833 वाके ग्राम सबलगढ तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) में से प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे, एवं उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। क्योंना उक्त आदेश ताफैसला दावा सम्पुष्ट कर दिया जावे? कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत आकर अपना–अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलवी अप्रार्थीगण वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड तलवी हेतु नोटिस तलवाना पेश करे, जारी हो। उक्तानुसार वकील प्रार्थी द्वारा आगामी नियत दिनांक पूर्व तलवी नहीं कराये जाने की स्थिति में उपरोक्त जारी अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी नियत दिनांक को निरस्त समझे जावेंगे। बाद तलवी पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.07.2023 को पेश हो। **प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।**

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

12/06/23 आज यह पत्रावली प्रा०पत्र पेश होकर स्वीकार होने पर मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी उप० आये। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज नोटिस के तरीके की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः आगामी कार्यवाही इसी [illegible] छोड़कर यह पत्रावली भी नोटिस में शामिल की जाती है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली निर्णित [illegible] हो। नम्बर कम हो। [illegible] मूल दावा रहे। सुनाया गया।

NOT press
गोपी [illegible]

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०